आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005

(2006 का अधिनियम संख्यांक 1)

[11 जनवरी, 2006]

आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन तथा

उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक

विषयों का उपबंध

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त नाम ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रत्येक शब्द और पद का, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो, उस अधिनियम में है।

परिभाषाएं।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक विधान परिषद् होगी, और उस तारीख से ही, अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में, ''बिहार'' शब्द के पूर्व ''आन्ध्र प्रदेश'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश के लिए विधान परिषद् का सृजन।

- (2) उक्त परिषद् में 90 स्थान होंगे, जिनमें से—
- (क) अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमश: 31, 8 और 8 होगी;

1950 का 43

- (ख) उक्त खंड के उपखंड (घ) के उपबंधों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 31 होगी; और
- (ग) उस खंड के उपखंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 12 होगी।
- (3) राष्ट्रपति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् , यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निम्नलिखित का अवधारण करेंगे—
 - (क) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें आन्ध्र प्रदेश राज्य को अनुच्छेद 171 के खंड 3 के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में से प्रत्येक उपखंड के अधीन उक्त परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा:
 - (ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार; और
 - (ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या।
- (4) ऐसे अवधारण के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, इस अधिनियम्, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम्, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम्, 1951 के उपबंधों के अनुसार उक्त परिषद् का गठन करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

1950 का 43 1951 का 43

1950 के अधिनियम 43 की तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची का संशोधन।

- 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में---
- (क) तृतीय अनुसूची में, बिहार से संबंधित प्रविष्टि सं॰ 2 से पहले, निम्निलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - ''1. आन्ध्र प्रदेश 90 31 8 8 31 12'';
- (ख) चतुर्थ अनुसूची में, ''बिहार'' शीर्षक से पहले, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

''आन्ध्र प्रदेश

- 1. नगर निगम।
- 2. नगरपालिकाएं।
- 3. नगर पंचायतें।
- 4. छावनी बोर्ड।
- 5. जिला प्रजा परिषदें।
- 6. मंडल प्रजा परिषदें।''।

1951 के अधिनियम 43 की धारा 1**5**क का संशोधन। 5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क में, ''विधान परिषद् अधिनियम, 1957 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

1957 का 37

राष्ट्रपति ने दि आंध्र प्रदेश लेजिसलेटिव काउंसिल ऐक्ट, 2005 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.